



उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग

विज्ञापन संख्या : ए-४/ई-१/२०२१

दिनांक : 16/07/2021

स्टाफ नर्स / सिस्टर ग्रेड-२ (पुरुष / महिला) परीक्षा, 2021

ऑनलाइन आवेदन प्रारम्भ होने की तिथि : 16/07/2021

आनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की अन्तिम तिथि : 12/08/2021

आनलाइन आवेदन स्वीकार (Submit) किये जाने की अन्तिम तिथि: 16/08/2021

महत्वपूर्ण

- यदि किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी द्वारा कोई वांछित/आवश्यक सूचना छिपायी जाती है अथवा उसका मिथ्या निरूपण किया जाता है तो उसका अध्यर्थन निरस्त किया जा सकता है तथा उसके विरुद्ध अन्य उचित कार्यवाही जैसे प्रतिवारण आदि प्रारम्भ की जा सकती है।
- अभ्यर्थियों को अपने आन-लाइन आवेदन की हार्ड कापी के साथ आनलाइन आवेदन में किये गये समस्त दावों के समर्थन में समस्त प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियोगी आयोग के निर्देशनुसार यथा समय संलग्न कर प्रस्तुत करना होगा। इस सम्बन्ध में अयोग द्वारा पृथक से प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से सूचित किया जायेगा।
- अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे आनलाइन आवेदन करते समय सभी चरणों (यथा-रजिस्ट्रेशन, फीस भुगतान, फाइनल सबमिट इत्यादि) की सूचनाएं सॉफ्ट व हार्ड कापी के रूप में भविष्य हेतु संरक्षित करना सुनिश्चित करें।

विशेष सूचना :- (क) 'बैंक में शुल्क जमा करने की अन्तिम तिथि तक अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करने की ही दशा में उनका आन लाइन आवेदन स्वीकार होगा। यदि निर्धारित अन्तिम तिथि के बाद बैंक में शुल्क जमा किया जाता है तो अभ्यर्थी का आन लाइन आवेदन स्वीकार नहीं होगा तथा जमा किया गया शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं होगा। निर्धारित अन्तिम तिथि तक शुल्क बैंक में जमा करना तथा निर्धारित अन्तिम तिथि तक आवेदन 'Submit' करने का दायित्व अभ्यर्थी का है। यह भी सूचित किया जाता है कि परीक्षा शुल्क के रूप में जमा की गई कोई भी धनराशि किसी भी दशा में वापस नहीं की जायेगी।' (ख) आनलाइन आवेदन हेतु अभ्यर्थियों को निर्धारित कालम में अपना मोबाइल नं० और मान्य ई-मेल आईडी देना होगा जिसके बिना उनका Basic Registration पूरा नहीं होगा। इसी मोबाइल नं० पर भविष्य में सभी सूचनाएं/निर्देश एस एम एस द्वारा भेजे जायेंगे तथा ई-मेल आईडी पर प्रेषित किये जायेंगे।

आन-लाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना

यह विज्ञापन आयोग की Website <http://uppsc.up.nic.in> पर भी उपलब्ध है। इस विज्ञापन में आवेदन करने हेतु 'आन-लाइन' आवेदन पद्धति (ON-LINE APPLICATION SYSTEM) लागू है। अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। अतएव अभ्यर्थी आन-लाइन आवेदन ही करें।

"आन-लाइन आवेदन" करने के सम्बन्ध में अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे निम्नलिखित निर्देशों को भलीभांति समझ लें और तदनुसार आवेदन करें:-

1- आयोग की Website <http://uppsc.up.nic.in> पर "ALL NOTIFICATIONS/ADVERTISEMENTS" अभ्यर्थी द्वारा Click करने पर ON-LINE ADVERTISEMENT तथा: प्रदर्शित होगा, जिसमें निम्नलिखित तीन भाग हैं:-

(i) User Instructions

(ii) View Advertisement

(iii) Apply

उन समस्त विज्ञापनों की सूची प्रदर्शित होगी जिनमें "आन-लाइन आवेदन पद्धति" लागू है। User Instruction में अभ्यर्थियों को आन-लाइन फार्म भरने से सम्बन्धित दिशा-निर्देश दिये गये हैं। अभ्यर्थी इनमें से जिस विज्ञापन को देखना चाहें, उसके सामने "View Advertisement" को Click करें। ऐसा करने पर पूरे विज्ञापन के साथ आन-लाइन आवेदन की प्रक्रिया से सम्बन्धित Sample Snapshots भी प्रदर्शित होंगे। आनलाइन आवेदन हेतु "Apply" पर Click करें।

"आन-लाइन आवेदन" करने का कार्य निम्नांकित तीन रस्तों पर किया जायेगा:-

प्रथम स्तर- Apply click करने पर परीक्षा के सापेक्ष 'Candidate Registration' प्रदर्शित होगा तथा 'Candidate Registration' Click करने पर Basic Registration Form प्रदर्शित होगा। Basic Registration Form भरने के पश्चात Submit बटन पर Click करने से पूर्व अभ्यर्थी भरी गई सूचनाओं को भली भांति जॉच लें एवं यदि कोई संशोधन करना हो तो "Edit" button पर विलक करें। भरी गई सूचनाओं से सन्तुष्ट होने के पश्चात 'Submit' button पर Click करें, जिसके फलस्वरूप प्रथम चरण का पंजीकरण पूर्ण हो जायेगा। तत्पश्चात 'Print Registration Slip' प्रदर्शित होगी, जिस पर click करके Registration Slip की प्रिन्ट प्राप्त कर लें।

द्वितीय स्तर- द्वितीय चरण की प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात स्क्रीन पर 'Click here to proceed for payment' कैषण के साथ 'Fee to be deposited [in INR]' प्रदर्शित होगा। उक्त कैषण पर विलक करने के पश्चात स्टेट बैंक MOPS (Multi option Payment System) का Home Page प्रदर्शित होगा जिस पर भुगतान के तीन माध्यम (Mode) प्रदर्शित होंगे (i) NET BANKING (ii) CARD PAYMENTS (iii) OTHER PAYMENT MODES. उक्त माध्यमों में से किसी एक माध्यम द्वारा निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा करने के पश्चात "Payment Acknowledgment Receipt (PAR)" प्रदर्शित होगी जिसमें परीक्षा शुल्क जमा करने का पूरा विवरण अंकित रहेगा, इसकी प्रिन्ट 'Print payment Receipt' पर विलक करके प्राप्त कर लें।

तृतीय स्तर- द्वितीय चरण की प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात 'Proceed for final submission of application form' पर विलक करने पर फार्मेट प्रदर्शित होगा। उक्त फार्मेट में आनलाइन सूचनाएं भरनी होंगी तथा फोटो व हस्ताक्षर स्कैन करके अपलोड करना होगा। अभ्यर्थी अपनी फोटो व हस्ताक्षर निर्धारित साइज (साइज का उल्लेख आन लाइन आवेदन में निर्धारित स्थान पर होगा) में ही स्कैन करें। यह भी ध्यान रखें कि फोटो नवीनतम और आवश्यक (Chest) तक होनी चाहिए। यदि फोटो व हस्ताक्षर निर्धारित आकार में स्कैन करके Upload नहीं किया जाता है तो आवेदन को आनलाइन सिस्टम स्वीकार नहीं करेगा। फोटो व हस्ताक्षर स्कैन करके अपलोड करने की प्रक्रिया परिशिष्ट-1 में दी गई है। आवेदन प्रारूप पर सभी प्रविधियों अंकित करने के बाद "PREVIEW" को Click करके अभ्यर्थी अपने द्वारा भरी गई सूचनाओं को देख लें कि सभी सूचनायें सही-सही भरी गई हैं और पूरी तरह सन्तुष्ट होने के बाद ही आनलाइन आवेदन आयोग को प्रेषित करने हेतु "Submit" बटन को Click करें। अभ्यर्थी द्वारा समस्त सूचनायें सही-सही निर्देशनुसार आन-लाइन फार्म में भरकर आवेदन जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि तक "Submit" बटन को Click करना आवश्यक है, यदि अभ्यर्थी द्वारा "Submit" बटन को Click नहीं किया जायेगा तो आनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी तथा इसका दायित्व अभ्यर्थी का होगा। "Submit" बटन को Click करने के पश्चात आवेदन का प्रिन्ट लेकर अभ्यर्थी इसे अपने पास सुरक्षित रखें। किसी विसंगति की दशा में उक्त प्रिन्ट आयोग कार्यालय में अभ्यर्थी को प्रस्तुत किया जायेगा।

2. आवेदन शुल्क- आन लाइन आवेदन की प्रक्रिया में प्रथम चरण की कार्यवाही पूर्ण करने के पश्चात द्वितीय चरण में दिये गये निर्देशों के अनुसार श्रेणीवार परीक्षा शुल्क जमा करें। परीक्षा हेतु श्रेणीवार निर्धारित शुल्क निम्नानुसार है:-

(i)- अनारक्षित/अर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/ :- परीक्षा शुल्क रु.100/- + आनलाइन प्रक्रिया शुल्क अन्य पिछड़ा वर्ग/ रु.25/-, योग = रु.125/-

(ii)- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति :- परीक्षा शुल्क रु.40/- + आनलाइन प्रक्रिया शुल्क रु.25/-, योग = रु.65/-

(iii)- दिव्यांग श्रेणी

:- परीक्षा शुल्क NIL + आनलाइन प्रक्रिया शुल्क

रु.25/-, योग = रु.25/-

(iv)- भूतपूर्व सैनिक

:- परीक्षा शुल्क रु.40/- + आनलाइन प्रक्रिया शुल्क

रु.25/-, योग = रु.65/-

(v)- स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के

आश्रित/महिला

3. ऐसे अभ्यर्थी, जो उ.प्र. लोक सेवा आयोग से प्रतिवारित किये गये हैं तथा उनकी प्रतिवारण अवधि समाप्त नहीं हुयी है, उनका Basic Registration स्वीकार्य नहीं होगा। यदि प्रतिवारण सम्बन्धी तथ्यों को छिपाकर आवेदन कर भी देते हैं तो भविष्य में किसी भी स्तर पर यह तथ्य प्रकाश में आने पर न केवल इस परीक्षा हेतु उनका अध्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा वरन् उन्हें समस्त आगामी परीक्षाओं/चयनों से प्रतिवारित करने/प्रतिवारण अवधि वांछित आयोग द्वारा विचार किया जायेगा। अभ्यर्थियों द्वारा इस सम्बन्ध में अपने आवेदन में किया गया दावा सत्य नहीं पाये जाने पर आयोग द्वारा उन्हें प्रश्नगत परीक्षा तथा भविष्य में आयोजित होने वाली समस्त परीक्षाओं/चयनों से प्रतिवारित करने की कार्यवाही तथा अन्य दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

4. सबमिट किये गये आवेदन में संशोधन: आनलाइन आवेदन Submit करने के बाद यदि किसी अभ्यर्थी को Submit किये जा चुके आवेदन में किसी त्रुटि का ज्ञान होता है तो परीक्षा का नाम एवं भर्ती का प्रकार, Registered Mobile Number, E-mail ID, Aadhaar Number तथा ऐसे मामले जिनमें संशोधित श्रेणी का शुल्क अधिक है, को छोड़कर (इन प्रविधियों में त्रुटि करने की दशा में अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क के साथ ही नया आनलाइन आवेदन कर सकते हैं क्योंकि पूर्व में जमा किया गया शुल्क किसी भी दशा में समायोजित / वापस नहीं किया जायेगा।) इसे आनलाइन आवेदन जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व संशोधित करने हेतु अभ्यर्थीयों को एक अवसर अनुमन्य है, जिसकी प्रक्रिया निम्नानुसार है:-

"अभ्यर्थी को Candidate Segment में 'Online application process' के अन्तर्गत 'Modify Submitted Application' को विलक (Click) करना होगा, Click करने के पश्चात "Candidate Personal Details" Screen प्रदर्शित होगी जिसमें अभ्यर्थी को रजिस्ट्रेशन नं०, जन्मतिथि (Date of Birth), लिंग (Gender), निवास (Domicile) तथा श्रेणी (Category) भरनी होगी तत्पश्चात Verification Code

अभ्यर्थी जिन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसकी पहले से ही एक पत्नी हो, पात्र नहीं होंगे, जब तक कि महामहिम राज्यपाल ने उक्त शर्त से छूट प्रदान न कर दी हो।

10. शैक्षिक अर्हता :- विभिन्न पदों हेतु अर्हताएँ निम्नवत् हैं:-

क्र.सं.	पद का नाम	शैक्षिक अर्हता
1	स्टाफ नर्स (पुरुष) (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ विभाग)	1—स्टाफ नर्स (पुरुष) के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी के पास—(एक) माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र० से विज्ञान के साथ हाईस्कूल परीक्षा और इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। (दो) संयुक्त प्रांत नर्स तथा धात्री परिषद में रजिस्ट्रीकरण योग्य सामान्य नर्सिंग और धात्री कर्म में डिप्लोमा या नर्सिंग में विज्ञान स्नातक उपाधि या संयुक्त प्रांत नर्स और धात्री परिषद में रजिस्ट्रीकरण योग्य साइकियाट्री में डिप्लोमा धारण करना आवश्यक है। (तीन) संयुक्त प्रांत नर्स तथा धात्री परिषद से नर्स तथा साइकियाट्री के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाण—पत्र धारित करना या संयुक्त प्रांत नर्स तथा धात्री परिषद से नर्स और धात्री के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाण—पत्र धारित करना आवश्यक है।
2	स्टाफ नर्स (महिला) (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ विभाग)	2—स्टाफ नर्स (महिला) के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी के पास—(एक) माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र० से विज्ञान के साथ हाईस्कूल परीक्षा और इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। (दो) उत्तर प्रदेश नर्स तथा धात्री परिषद में रजिस्ट्रीकरण के योग्य सामान्य उपचारिका एवं प्रसूति प्रशिक्षण में डिप्लोमा अथवा नर्सिंग में स्नातक (बी.एस.सी.) उपाधि हो। (तीन) उ0प्र० नर्स तथा धात्री परिषद से नर्स और धात्री के रूप में रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण—पत्र हो।
3	सिस्टर ग्रेड-2 (पुरुष / महिला) (के.जी.एम.यू.)	Diploma in General Nursing and midwifery from a recognized institute or equivalent qualification for male Nurse. Preference to those having 3 years exp. in large hospital or Medical College or B.Sc. Nursing Should be a registered "A" Grade Nurse and Midwife with a State Nursing Council or equivalent Qualification for Male nurses.

नोट:- चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ/चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण तथा के0जी0एम0य०० पद, की शैक्षिक अर्हता धारित करने वाले अभ्यर्थियों द्वारा ऑन—लाइन आवेदन के शैक्षिक अर्हता के कॉलम— (1) व (2) में ‘‘हाँ’’ का विकल्प देने पर ही तीनों पदों पर विचार किया जायेगा अन्यथा जिस पद हेतु शैक्षिक अर्हता के कॉलम में ‘‘हाँ’’ विकल्प दिया जायेगा केवल उसी पद हेतु विचार किया जायेगा। केवल शैक्षिक अर्हता के कॉलम— (1) में ‘‘हाँ’’ का विकल्प देने पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ तथा चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण के पदों के लिए तथा केवल शैक्षिक अर्हता के कॉलम— (2) में ‘‘हाँ’’ का विकल्प देने पर के0जी0एम0य०० के पदों के लिए विचार किया जायेगा।

(4) चयन एक सौ अंकों का होगा। अभ्यर्थियों की योग्यता सूची निम्नलिखित रीति से तैयार की जायेगी:- (क) लिखित परीक्षा पच्चासी अंकों की होगी।

(ख) विकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ विभाग उत्तर प्रदेश में संविदा के आधार पर कार्यरत किसी व्यक्ति को अधिकतम पन्द्रह अंकों के अध्ययीन निम्नलिखित रीति में अंक प्रदान किये जायेंगे:-

(एक) संविदा के आधार पर सेवा के प्रथम पूर्ण वर्ष के लिए ————— तीन अंक

(दो) संविदा के आधार पर सेवा के अगले एवं प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए ————— तीन अंक प्रति वर्ष के लिए।

इस सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। इस प्रयोजन हेतु एक प्रारूप इस विज्ञापन के परिशिष्ट-6 में उपलब्ध है।

(ग) खण्ड (क) के अधीन प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों को, जहां लागू हो, खण्ड (ख) के अधीन प्राप्त अंकों के साथ जोड़ दिया जायेगा।

नोट: आवेदन SUBMIT किये जाने की अन्तिम तिथि तक समस्त अर्हताएँ पूर्ण होना आवश्यक है।

11. (1) आयु सीमा:- अभ्यर्थियों को 1 जुलाई, 2021 को 21 वर्ष की आयु अवश्य पूरी करनी चाहिए और उन्हें 40 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए अर्थात् उनका जन्म 2 जुलाई, 1981 से पूर्व तथा 1 जुलाई, 2000 के बाद का नहीं होना चाहिए। दिव्यांगजन हेतु अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष है अर्थात् अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई, 1966 के पूर्व का नहीं होना चाहिए। (2) अधिकतम आयु सीमा में छूट :- (क) उ0प्र० के अनुसूचित जाति, उ0प्र० के अन्य वर्षों के अधिकतम आयु सीमा में छूट का वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ियों, उप्र. राज्य सरकार के कर्मचारियों, उ0प्र० वेसिक शिक्षा परिषदीय शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों तथा उ0प्र० के अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों/कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमत्य होगी। अर्थात् उनका जन्म 2 जुलाई, 1976 के पूर्व का नहीं होना चाहिए। (ख) उ0प्र० के समाज के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 15 वर्ष अधिक होगी। (ग) उ. प्र. के आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों/अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारियों/भूतपूर्व सैनिकों के लिए अधिकतम आयु सीमा में सेना में की गयी सेवा अवधि + 3 वर्ष के बराबर छूट अनुमत्य होगी।

12. परीक्षा के सम्बन्ध में कठिपय सूचनायें:- (i) विभिन्न पदों के लिए अधिमान्यताएँ अभ्यर्थियों से यथा समय माँगी जायेंगी, जो अन्तिम होंगी और तत्पश्चात् उनमें कोई परिवर्तन अनुमत्य नहीं होगा। (ii) मूल प्रमाण पत्रों की जांच अन्तिम परिणाम घोषित होने के बाद होगी, उस समय अभ्यर्थियों को दो फोटोग्राफ अपने विभागात्मक अथवा उस संस्था के प्रधान द्वारा, जहाँ उहोंने अन्तिम विज्ञापन की जाति नियुक्ति दी जायेगी। (iii) केन्द्र अधिकारी द्वारा प्रमाणित तथा दो सादे फोटोग्राफ भी प्रस्तुत करना होगा।

13. अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश:- (1) उ0प्र० लोक सेवा आयोग के निर्णय के अनुसार किसी भी अभ्यर्थी को अपने आवेदन पत्र में गलत तथ्यों को, जिनकी प्रमाण पत्र के आधार पर पुष्टि नहीं की जा सकती है, देने पर अथवा अन्य किसी कदाचार पर आयोग की प्रश्नगत परीक्षा तथा अन्य समस्त परीक्षाओं एवं चयनों से अधिकतम 05 वर्षों तक प्रतिवारित किया जा सकता है। (2) आन—लाइन आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक ही श्रेणी, उपमिसाइल, लिंग, जन्मतिथि, नाम व पत का जो दावा किया जायेगा, वही मान्य होगा। इसके बाद कोई भी परिवर्तन अनुमत्य नहीं होगा। इस सम्बन्ध में त्रुटी सुधार/संशोधन हेतु कोई प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा। अपूर्ण आवेदन पत्र सरकारी सेवा द्वारा निरस्त कर दिया जायेगा। 'गलत'—भ्रामक सूचना प्रस्तुत करने पर अभ्यर्थन निरस्त माना जायेगा। (3) हाईस्कूल अथवा समक्ष स्कूल उत्तीर्ण परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी। अभ्यर्थी को आवेदन पत्र के साथ हाईस्कूल अथवा समक्ष परीक्षा का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। जन्मतिथि हेतु उक्त प्रमाण पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख मान्य नहीं होगा तथा उक्त प्रमाण पत्र संलग्न न करने पर आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी को शैक्षिक योग्यताओं के सम्बन्ध में किये गये दावों की पुष्टि में अंकपत्र, प्रमाण पत्र एवं उपाधि की स्वतः प्रमाणित प्रति संलग्न करना होगा। दावों की पुष्टि में प्रमाण पत्र / अभिलेख संलग्न न करने पर अथवा प्रमाण पत्र / अंक पत्र स्वतः प्रमाणित न होने पर आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जायेगा। (5) समाज के दिव्यांग अभ्यर्थियों को उ0प्र० लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों) के लिए अरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा-3 में उल्लिखित दिव्यांगता से ग्रस्त होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र जो सक्षम चिकित्साधिकारी/विशेषज्ञ द्वारा निर्गत एवं मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्राप्त होना चाहिए।

प्रस्तुत करने पर शासन द्वारा चिह्नित किये गये पदों पर दिव्यांग की उप श्रेणी के अन्तर्गत ही आरक्षण का लाभ अनुमत्य होगा। उल्लेखनीय है कि उक्त अधिनियम की धारा-3 के अनुसार पदों का नया चिन्हांकन अभी शासन से नहीं प्राप्त हुआ है अतएव नियुक्ति प्राधिकारियों द्वारा अधियाचन में दिव्यांग रिक्तियों का जो चिन्हांकन (श्रेणी / उपश्रेणी) प्राप्त होगा उसी के अनुसार चयन की कार्यवाही की जायेगी। (6) आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक भूतपूर्व सैनिकों को सैन्य सेवा से अवमुक्त होना आवश्यक है। (7) परीक्षा की तिथि, समय तथा केन्द्रों आदि के सम्बन्ध में अनुकमांक सहित ई—प्रवेश पत्र के माध्यम से सूचना दी जायेगी। अभ्यर्थियों को आवेदित केन्द्र पर ही परीक्षा देनी होगी। परीक्षा केन्द्र परिवर्तन अनुमत्य नहीं होगा तथा इस सम्बन्ध में कोई भी प्रार्थना पत्र स्वीकार्य नहीं होगा। (8) जो अभ्यर्थी कालान्तर में विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह नहीं पाये जायेंगे, उनका अभ्यर्थन / चयन निरस्त कर दिया जायेगा और परीक्षा में प्रवेश हेतु उनका कोई दावा मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन / चयन के सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा। (9) आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर न होने पर, आवेदन पत्र में जमा तिथि का उल्लेख न करने पर, त्रुटिपूर्ण जन्म

तिथि अंकित करने पर, अधिवयस्क या अल्पवयस्क होने पर, न्यूनतम शैक्षिक अर्हता धारित न करने पर, आवेदन पत्र प्राप्त किए जाने हेतु निर्धारित अन्तिम

Here you will see your complete communication address and photo with your signature.

Declaration Segment

At the bottom of the page there is a 'Declaration' for the candidates. Candidates are advised to go through the contents of the Declaration carefully. After filling all above particulars there is provision for preview your detail before final submission of application form on clicking on "Preview" button. Preview page will display all facts/particulars that you have mentioned on entry time if you are sure with filled details then click on "Submit" button to finally push data into server with successfully submission report that you can print. Otherwise using "Back" button option you can modify your details.

(CANDIDATES ARE ADVISED TO TAKE A PRINT OF THIS PAGE BY CLICKING ON THE "PRINT" OPTION AVAILABLE)

For Other Information:

For other information candidates are advised to select desired Option in 'Home Page' of Commission's website <http://uppsc.up.nic.in>

Candidate Segment
Notifications/Advts.
ALL Notifications / Advertisements
ONLINE FORM SUBMISSION
1. Candidate Registration (FIRST STAGE)
2. Fee Deposition / Reconciliation (SECOND STAGE)
3. Submit Application Form (THIRD STAGE)
APPLICATION FORM STATUS
Update your transaction ID by Double Verification mode
View Application Status
List of Applications Having Photo related Objections
Print Duplicate Registration Slip
Print Detailed Application Form
EXAMINATION SEGMENT
Print Address Slip for sending Documents to Commission [Only for Direct Recruitment]
DOWNLOAD SEGMENT
Download Admit Card
Download Interview Letter
Download Syllabus
Know Your Registration No.
Click here to view Key Answer Sheet

Regarding Application:

- On clicking "View Application status" option in candidate Segment page you can see current status of candidate.
- On clicking "Result" option in candidate Segment page candidate can see result status of periodically.
- "Interview/Exam Schedule" option in candidate Segment page candidate can see interview and examination schedule details periodically.
- On clicking "Key Answer Sheet" candidate can download key answer sheet.
- On clicking "Admit Card/Hall Ticket" candidate can download their Admit Card using with some basic credential of candidate.
- On clicking "List of Rejected Candidate" candidate can view rejected candidate list.
- On clicking "Syllabus" candidate can view syllabus of particular examination.

[Candidates applying on-line need NOT send hard copy of the On-line Application filled by them on-line or any other document/ certificate/testimonial to the Uttar Pradesh Public Service Commission. However they are advised to take printout of the On-line Application and retain it for further communication with the UPPSC.] [The Candidates applying for the examination should ensure that they fulfill all eligibility conditions for admission to examination. Their admission at all the stages of the examination will be purely provisional subject to satisfying the prescribed eligibility conditions]. UPPSC takes up verification of eligibility conditions with reference to original documents at subsequent stages of examination process.

LAST DATE FOR RECEIPT OF APPLICATIONS:

On-line Application process must be completed (including filling up of Part-I, Part-II and Part-III of the Form) before last date of form submission according to advertisement, after which the Web. Link will be disabled.

परिशिष्ट - 1

The Procedure relating to upload Photo & Signature:-


Guide Lines for Scanning Photograph with Signature

- Paste the Photo on any white paper as per the above required dimensions. Sign in the Signature Space provided. Ensure that the signature is within the box.
- Scan the above required size containing photograph and signature. Please do not scan the complete page.
- The entire image (of size 3.5 cm by 6.0 cm) consisting of the photo along with the signature is required to be scanned, and stored in*.jpg, .jpeg, .gif, .tif, .png format on local machine.
- Ensure that the size of the scanned image is not more than 50 KB.
- If the size of the file is more than 50 KB, then adjust the settings of the scanner such as

the DPI resolution, no. colours etc., during the process of scanning.

- The application has to sign in full in the box provided. Since the signature is proof of identify, it must be genuine and in full; initials are not sufficient. Signature in CAPITAL LETTERS is not permitted.
- The signature must be signed only by the application and not by any other person.
- The signature will be used to put on the Hall Ticket and wherever necessary. If the Applicant's signature on answer script, at the time of the examination, does not match the signature on the Hall Ticket, the applicant will be disqualified.

Sample Image & Signature:-



परिशिष्ट - 2

जिन नगरों में परीक्षा आयोजित की जायेगी वे निम्न प्रकार हैं— लखनऊ तथा प्रयागराज।

परिशिष्ट-3

उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के लिए जाति प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी..... सुपुत्र/सुपुत्री श्री..... निवासी ग्राम..... तहसील..... जाति के व्यक्ति हैं जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 (जैसा कि समय-समय) पर संशोधित हुआ) / संविधान (अनुसूचित जनजाति, उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967 के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है। श्री/श्रीमती/कुमारी..... तथा अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के..... नगर..... जिला..... उत्तर प्रदेश राज्य की..... तहसील..... जिला..... जाति के व्यक्ति हैं जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 (जैसा कि समय-समय) पर संशोधित हुआ) / संविधान (अनुसूचित जनजाति, उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967 के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है। श्री/श्रीमती/कुमारी..... तथा अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के..... नगर..... जिला..... में सामान्यतया रहता है। स्थान..... हस्ताक्षर..... दिनांक..... पूरा नाम..... मुहर..... जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/अन्य वेतन भोगी मजिस्ट्रेट यदि कोई हो/ जिला समाज कल्याण अधिकारी

उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी..... सुपुत्र/सुपुत्री श्री..... निवासी ग्राम..... तहसील..... नगर..... जिला..... उत्तर प्रदेश राज्य की..... पिछड़ी जाति के व्यक्ति हैं। यह जाति उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी..... पूर्वोक्त अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची-दो (जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा) (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2001 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2002 द्वारा संशोधित की गयी है, से आछादित नहीं है। इनके माता-पिता की निरंतर तीन वर्ष की अवधि के लिये सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धनकर अधिनियम, 1957 में यथा विहित छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति भी नहीं है। श्री/श्रीमती/कुमारी..... तथा अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम तहसील नगर जिला में सामान्यतया रहता है। स्थान..... हस्ताक्षर..... दिनांक..... पूरा नाम..... मुहर..... जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार।

(प्रपत्र-1)

उत्तर प्रदेश सरकार

कार्यालय का नाम..... आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण पत्र प्रमाण-पत्र संख्या..... दिनांक..... वित्तीय वर्ष..... के लिए मान्य प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी..... पुत्र/पति/पुत्री..... ग्राम/कस्बा..... पोस्ट ऑफिस..... थाना..... तहसील..... जिला..... राज्य..... पिन कोड..... के स्थायी निवासी है, जिनका फोटोग्राफ नीचे अभिप्राप्त है, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के सदस्य है, क्योंकि वित्तीय वर्ष..... में इनके परिवार की कुल वार्षिक आय 8 लाख (आठ लाख रुपये मात्र) से कम है। इनके परिवार के स्वामित्व में निम्नलिखित में से कोई भी परिसम्पत्ति नहीं है:-

- 5(पाँच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा इससे ऊपर।
- एक हजार वर्ग फिट अथवा इससे अधिक क्षेत्रफल का प्लैट।
- अधिसूचित नगरपालिका के अन्तर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड
- अधिसूचित नगरपालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड

2. श्री/श्रीमती/कुमारी..... जाति..... के सदस्य हैं जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के रूप में अधिसूचित नहीं हैं।

Cont...

<p>आवेदक का पासपोर्ट साईज का अधिकारीय फोटोग्राफ़</p>	<p>हस्ताक्षर.....(कार्यालय का मुहर सहित) पूरा नाम..... पद नाम..... जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार।</p>
<p>(प्रपत्र-II)</p> <p>आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लाभार्थ स्वयं घोषणा पत्र</p> <p>स्वयं घोषणा पत्र</p> <p>मैं..... पुत्र/पुत्री/पत्नी..... प्रामाण/कस्ता..... पोस्ट ऑफिस..... थाना..... लाक..... तहसील..... जिला..... राज्य..... ने आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के प्रमाण पत्र हेतु आवेदन दिया है, एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. मैं..... जाति से सम्बन्ध रखता/रखती हूँ जो उत्तर प्रदेश हेतु अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में सूचीबद्ध नहीं है। 2. मेरे परिवार की कुल श्रोतों (वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा इत्यादि) से कुल वार्षिक आय रु..... (शब्दों में) है। 3. मेरे परिवार के पास उल्लिखित आय के सिवाय अथवा इसके अतिरिक्त अन्यत्र कोई परिसम्पत्ति नहीं है। <p>अथवा</p> <p>कई स्थानों पर स्थित परिसम्पत्तियों को जोड़ने के पश्चात भी मैं (नाम)..... आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के दायरे में आता/आती हूँ।</p> <p>4. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे परिवार की सभी परिसम्पत्तियों को जोड़ने के पश्चात् निम्नलिखित में से किसी भी सीमा से अधिक नहीं है।</p> <ol style="list-style-type: none"> I. 5(पाँच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा इससे ऊपर। II. एक हजार वर्ग फिट अथवा इससे अधिक क्षेत्रफल का फैटै। III. अधिसूचित नगरपालिका के अन्तर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड IV. अधिसूचित नगरपालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड <p>मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है और मैं आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए आरक्षण सुविधा प्राप्त करने हेतु प्राप्ति द्वारा द्वारा दी गई जानकारी असत्य/गलत पायी जाती है तो मैं पूर्ण रूप में जानता हूँ/जानती हूँ कि इस आवेदन पत्र के आधार पर दिये गये प्रमाण पत्र के द्वारा शैक्षणिक संस्थान में लिया गया प्रवेश/लोक सेवाओं एवं पदों में प्राप्त की गई नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी/कर दिया जायेगा अथवा इस प्रमाण पत्र के आधार पर कोई अन्य सुविधा/लाभ प्राप्त किया गया है उससे भी वंचित किया जा सकेगा और इस सम्बन्ध में विधि एवं नियमों के अधीन मेरे विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही के लिये मैं उत्तरदायी रहूँगा/रहूँगी।</p> <p>नोट: जो लागू नहीं हो उसे काट दें।</p> <p style="text-align: center;">आवेदक/आवेदिका का हस्ताक्षर तथा पूरा नाम।</p> <p>स्थान :- दिनांक :-</p>	
<p>उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सेनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित) के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के लिए प्रमाण-पत्र</p> <p>प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी..... निवासी..... ग्राम..... तहसील..... नगर..... जिला..... उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सेनिक के लिए आरक्षण) अधिनियम 1993 के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं और श्री/श्रीमती/कुमारी (आश्रित) पुरुष/पुत्री/पौत्र (पुत्र का पुत्री या पुत्री का पुत्र) पौत्री (पुत्र की पुत्री या पुत्री की पुत्री) (विवाहित अथवा अविवाहित) उपरांकित अधिनियम 1993 (यथा संशोधित) के प्राविधिकों के अनुसार उक्त श्री/श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी) के आश्रित हैं।</p> <p>स्थान..... दिनांक.....</p> <p>हस्ताक्षर पूरा नाम मुहर जिलाधिकारी सील.....</p>	
<p>कुशल खिलाड़ियों के लिये प्रमाण-पत्र जो उ.प्र. के मूल निवासी हैं</p> <p>शासनादेश संख्या-22/21/1983-कार्मिक-2 दिनांक 28 नवम्बर, 1985</p> <p>प्रमाण-पत्र के फार्म - 1 से 4</p> <p>प्रारूप - 1</p> <p>(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने देश की ओर से अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये) सम्बन्धित खेल की राष्ट्रीय फेडरेशन/राष्ट्रीय एसोसिएशन का नाम..... राज्य सरकार की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिये प्रमाण-पत्र</p> <p>प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी..... आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री..... निवासी..... पूरा पता ने दिनांक से दिनांक तक (स्थान का नाम) में आयोजित (क्रीड़ा/खेल-कूद का नाम) की प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में देश की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में स्थान प्राप्त किया गया। यह प्रमाण-पत्र राष्ट्रीय फेडरेशन/राष्ट्रीय एसोसिएशन/(यहाँ संस्था का नाम दिया जाये) में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया।</p> <p>स्थान..... दिनांक.....</p> <p>हस्ताक्षर नाम पद संस्था का नाम मुहर.....</p> <p>नोट : यह प्रमाण-पत्र नेशनल फेडरेशन / नेशनल एसोसिएशन के सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।</p>	
<p>प्रारूप - 2</p> <p>(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने प्रदेश की ओर से राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये) (सम्बन्धित खेल की प्रदेशीय एसोसिएशन का नाम)..... राज्य सरकार की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिये प्रमाण-पत्र</p> <p>प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री..... निवासी (पूरा पता) ने दिनांक से दिनांक तक (क्रीड़ा/खेल-कूद का नाम) की प्रतियोगिता (टूर्नामेन्ट स्थान का नाम) आयोजित राष्ट्रीय में (क्रीड़ा/खेल-कूद का नाम) की प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में प्रदेश की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में स्थान प्राप्त किया गया। यह प्रमाण-पत्र डीन आफ स्पोर्ट्स अथवा इंचार्ज खेल कूद विश्वविद्यालय में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया।</p> <p>स्थान..... दिनांक.....</p> <p>हस्ताक्षर नाम पद संस्था का नाम पता मुहर.....</p> <p>नोट : यह प्रमाण-पत्र प्रदेशीय खेल-कूद संघ के सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।</p>	
<p>प्रारूप - 3</p> <p>(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने विश्वविद्यालय की ओर से अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये) विश्वविद्यालय का नाम..... राज्य स्तर की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिये कुशल खिलाड़ियों के लिये प्रमाण-पत्र</p> <p>प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री..... निवास (पूरा नाम) विश्वविद्यालय की कक्षा..... के विद्यार्थी ने दिनांक से दिनांक तक (स्थान का नाम) में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय (क्रीड़ा/खेल-कूद का नाम) प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में विश्वविद्यालय की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में स्थान प्राप्त किया गया। यह प्रमाण-पत्र डीन आफ स्पोर्ट्स अथवा इंचार्ज खेल कूद विश्वविद्यालय में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया।</p> <p>स्थान..... दिनांक.....</p> <p>हस्ताक्षर नाम पद संस्था का नाम पता मुहर.....</p> <p>नोट : यह प्रमाण-पत्र विश्वविद्यालय के डीन आफ स्पोर्ट्स या इंचार्ज खेल-कूद द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।</p>	
<p>प्रारूप - 4</p> <p>(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने इन्स्ट्रक्शन/निदेशक, शिक्षा, उत्तर प्रदेश..... राज्य स्तर की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिये कुशल खिलाड़ियों के लिये प्रमाण-पत्र</p> <p>प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री..... निवास (पूरा नाम) में स्कूल में कक्षा..... के विद्यार्थी ने दिनांक से दिनांक तक (स्थान का नाम) में आयोजित स्कूलों के नेशनल गेम्स की (क्रीड़ा/खेल-कूद का नाम) प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में स्कूल की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में स्थान प्राप्त किया गया। यह प्रमाण-पत्र डायरेक्टर आफ पब्लिक इन्स्ट्रक्शन/शिक्षा में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया।</p> <p>स्थान..... दिनांक.....</p> <p>हस्ताक्षर नाम पद संस्था का नाम मुहर.....</p> <p>नोट : यह प्रमाण-पत्र निदेशक / या अतिरिक्त/संयुक्त या उपनिदेशक डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इन्स्ट्रक्शन/शिक्षा द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर होने पर मान्य होगा।</p>	

* Strike out which is not applicable.

Cont...

परिशिष्ट - 4 **परीक्षा योजना**					-----------------------	---	---------------------------------		1. सामान्य ज्ञान	-	30 प्रश्न (वस्तुनिष्ठ प्रकारक)		2. सामान्य हिन्दी	-	20 प्रश्न (वस्तुनिष्ठ प्रकारक)		3. मुख्य विषय नर्सिंग	-	120 प्रश्न (वस्तुनिष्ठ प्रकारक)		कुल प्रश्न	-	170 प्रश्न		परीक्षा अवधि (समय)	-	02 घण्टे (120 मिनट)		पूर्णांक	-	85 अंक	**परिशिष्ट - 5** **परीक्षा पाठ्यक्रम** **सामान्य ज्ञान का पाठ्यक्रम** (1) **भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन:-** भारतीय इतिहास के अन्तर्गत सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक पक्षों की सामान्य जानकारी पर महत्व होगा। भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन पर अभ्यर्थियों से स्वतंत्रता आन्दोलन, राष्ट्रीयता का अभ्युदय तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के सम्बन्ध में सारपरक जानकारी अपेक्षित है। (2) **भारत एवं विश्व का भूगोल,** भारत एवं विश्व का भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल:- भारत के भूगोल के अन्तर्गत देश के भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल से सम्बन्धित प्रश्न होंगे। विश्व भूगोल में विषय की केवल सामान्य जानकारी अपेक्षित होगी। (3) **भारतीय राजनीति एवं शासन, संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, लोकनीति एवं अधिकारिक मुद्रे आदि:-** भारतीय राजनीति एवं शासन के अन्तर्गत देश के संविधान, पंचायती राज तथा सामुदायिक विकास सहित राजनीतिक प्रणाली के ज्ञान से सम्बन्धित प्रश्न होंगे। (4) **भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक विकास:-** अभ्यर्थियों के जनसंख्या, पर्यावरण तथा नगरीकरण से सम्बन्धित समस्याओं एवं पारस्परिक सम्बन्ध, भारतीय आर्थिक नीति एवं भारतीय संस्कृति के व्यापक स्वरूप के ज्ञान का परीक्षण किया जायेगा। (5) **राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएँ:-** इसमें खेलकूद के प्रश्न भी सम्मिलित होंगे। (6) **भारतीय कृषि:-** भारत में कृषि, कृषि उत्पाद एवं उसके विपणन के सम्बन्ध में सामान्य जानकारी की अपेक्षा अभ्यर्थियों से होगी। (7) **सामान्य विज्ञान:-** सामान्य विज्ञान के प्रश्न दैनिक अनुभव तथा प्रेक्षण से सम्बन्धित विषयों से सहित विज्ञान के सामान्य परिवेष्ट एवं जानकारी पर आधारित होंगे, जिसकी ऐसे किसी भी सुविधित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है जिसने वैज्ञानिक विषयों का विशेष अध्ययन नहीं किया है। इसमें भारत के विकास में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका से सम्बन्धित प्रश्न भी होंगे। (8) **प्रारम्भिक गणित हाईस्कूल स्तर तक:-** अंकगणित, बीजगणित व रेखागणित। **अभ्युक्ति:-** अभ्यर्थियों से यह अपेक्षित होगा कि उत्तर प्रदेश के विशेष परिप्रेक्ष्य में उपर्युक्त विषयों का उन्हें सामान्य परिचय हो। **सामान्य हिन्दी** - (1) विलोम - (2) वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि - (3) अनेक शब्दों के एक शब्द - (4) तत्सम एवं तद्भव शब्द - (5) विशेष्य और विशेषण - (6) पर्यायवाची शब्द **नर्सिंग** 1. **एनाटोमी और फिजियोलॉजी:-** कंकाल तंत्र, मांसपेशी प्रणाली, दृद्य-रक्त संचार तंत्र, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, तांत्रिका तंत्र, अंतःग्रावी तंत्र, प्रजनन तंत्र और इन्फ्रियाँ। 2. **नर्सिंग की बुनियादी बाब्टें:-** एक पेशे के रूप में नर्सिंग, चिकित्सीय वातावरण का रख-रखाव, नर्सिंग प्रक्रिया व नर्सिंग सेवा-सुश्रुत्या योजना, नर्सिंग केयर प्लान, एक मरीज को भर्ती करना और अस्पताल से छुट्टी करना, मरणासन्न रोगी, आरोग्य विषयक आवश्यकतायें एवं शरीर क्रिया विषयक आवश्यकतायें, गतिविधि और व्यायाम, सुरक्षा सम्बन्धी आवश्यकतायें, उत्सर्जन विषयक आवश्यकतायें एवं विशेष परिस्थितियों में देख रेख, पोषण सम्बन्धी जरूरत की पूर्ति, रोगी का अवलोकन, उपरकरणों की देखभाल, संक्रमण रोधी परिचर्चा, दवाइयाँ देना, रिकार्डिंग और रिपोर्टिंग। 3. **प्राथमिक चिकित्सा:-** प्राथमिक चिकित्सा का अर्थ एवं नियम। - आपात स्थिति जैसे:- आग, भूकम्प, अकाल, अस्थि भंग, दुर्घटनाओं, विषाक्तता, दूबना रक्त साव होना, कीड़े का काटना, फारेन बाढ़ी। घायल का स्थानान्तरण, पट्टी बांधने और खपच्ची बांधना, नसीं की तकाल एवं बाद में भूमिका। 4. **मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग:-** मेडिकल एवं सर्जिकल चिकित्सा की स्थापना (सेटिंग) में नर्स की भूमिका एवं जिम्मेदारी। सर्जिकल रोगी की देखभाल, एनोरेसिसिया (निष्चेतना)। हृदय रक्त संचार तंत्र, पाचन तंत्र, जनन तंत्र एवं मूत्र प्रणाली, तांत्रिका तंत्र के रोग। श्वसन तंत्र, मांस-पेशी, हाइ पिंजर प्रणाली के विकार और रोग। रक्त विकार और रक्त ट्रांसफ्यूजन (चढ़ना) अंतःग्रावी तंत्र, मेटाबोलिक सम्बन्धी विकार एवं कमी से होने वाली बीमारियाँ व सार की अधिकता और अल्पता, गॉठ/द्युमर, मधुमेह, मोटापा, गठिया। त्वचा, कान, नाक एवं गले के रोग। आँख के विकार और रोग, सघन चिकित्सा नर्सिंग, सामान्य कमियों के कारण होने वाले रोग, भारत में पाए जाने वाले, प्रारम्भिक लक्षण, रोकथाम एवं उपचार।	**संचारी रोग:-** वायरस, बैक्टीरिया, जूनोसेस और मच्छर। **5. मनोरोग नर्सिंग:-** परिचय, सामुदायिक जिम्मेदारी, निदान, प्रबन्धन एवं नर्स की भूमिका। **6. सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग:-** संकल्पना, सामुदायिक स्वास्थ्य की परिभाषा, संस्थागत और सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग में अन्तर, सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग की विशेषताएँ एवं कार्य, सामुदायिक स्वास्थ्य, नर्सिंग के पहलू, जनसांख्यिकी और परिवार कल्याण, स्वास्थ्य टीम: सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (सी०एच०सी०), प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (पी०एच०सी०) तथा उपकेन्द्र की संरचना। विभिन्न स्तरों पर नर्सिंग कार्मिकों की भूमिका: पुरुष और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, स्वास्थ्य पर्यवेक्षक, पब्लिक हेल्थ नर्स, पब्लिक हेल्थ नर्स सुपरवाइजर, महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सांख्यिकी, स्वास्थ्य शिक्षा एवं संचार कौशल। **7. मिडवाफरी एण्ड गार्डनकोलेजिकल नर्सिंग:-** प्रस्तावना और परिभाषा, सामान्य गर्भाधारण, प्रसव-पूर्व देखभाल, गर्भावस्था में आहार से संबंधित सलाह एवं देखभाल, प्रसव पूर्व व्यायाम, गर्भावस्था के सूक्ष्म विकार और असुविधा को दूर करना, गर्भावस्था से सम्बन्धित रोग। सामान्य प्रसव की तैयारी: प्रसव का प्रथम चरण, द्वितीय चरण एवं तृतीय चरण। जन्म व शिशु के लिए नर्सिंग प्रबन्धन, माता के सूतीकावस्था के दौरान प्रबन्धन, गर्भावस्था की जटिलताएँ और उसके प्रबन्धन, उच्च जोखिम युक्त गर्भावस्था और उसके प्रबन्धन, प्रसवति जटिलताएँ, सूतीकावस्था सम्बन्धित जटिलताएँ व प्रबन्धन, प्रसव शल्य क्रिया, प्रसूति में औषधि का इस्तेमाल, दाइ और स्ट्री रोग नर्सिंग से सम्बन्धित नैतिक और कानूनी पहलू, प्रजनन और बॉझपन, स्तन एवं महिला प्रजनन प्रणाली के रोग एवं विकार। **8. बाल नर्सिंग:-** बाल स्वास्थ्य देखभाल और बच्चे की देखभाल में बाल नर्स की भूमिका एवं संकल्पना, स्वस्थ बच्चा, शिशु, शिशुओं के विकार, मानवता और जन्मजात विसंतायों का प्रबन्धन, स्तनपान, ठोस आहार, प्रसव शल्य क्रिया के पूर्व व बाद की देखभाल, नरजात बच्चे की शल्य चिकित्सा के लिए माता-पिता की तैयारी, बाल रोग: कारण, चिन्ह एवं लक्षण, मेडिकल और सर्जिकल प्रबन्धन, नर्सिंग देखभाल, जटिलता, आहार और ड्रग थेरेपी, रोग सम्बन्धित रोकथाम और उपचार, बचाव एवं चिकित्सा- पाचन तंत्र प्रणाली, श्वसन तंत्र, जनन-मूत्र प्रणाली, हृदय रक्त संसर्चण तंत्र, तांत्रिका तंत्र, आँख और कान, पोषण सम्बन्धी विकार, संचारी रोग, रक्त विकार, अंतःग्रावी तंत्र, बाल विकार, बाल स्वास्थ्य आपात स्थिति, मानसिक विकार समस्यायें और विकलांग शिशु। **9. व्यावसायिक लूजान एवं समायोजन- परिभाषा और नर्सिंग पैशे के मानदण्ड:-** परिभाषा और नर्सिंग पैशे के मानदण्ड, एक पैशेवर नर्स के गुण, व्यक्तिगत पैशेवर विकास और नर्सिंग में कैरियर, व्यवसायिक और सम्बन्धित संगठन: अन्तर्राष्ट्रीय कौसिल ऑफ नर्स (आई०सी०एन०), भारतीय नर्सिंग परिषद (आई०एच०सी०), स्टेट नर्सिंग परिषद, विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनिसेफ, ट्रेन्ड नर्स एसोसिएशन औफ इंडिया (टी०एन००३०आई०), रेडक्रास, नर्सिंग में कानून। **10. माइक्रोबायोलॉजी:-** नर्सिंग में माइक्रोबायोलॉजी के ज्ञान की उपयोगिता एवं सम्भावनायें, महत्व, माइक्रोबायोलॉजी का वर्गीकरण, संक्रमण विकास को प्रभावित करने वाले कारक, संक्रमण के स्रोत, सूक्ष्म जीवों के प्रवेश और निकास का द्वार, संक्रमण का संचरण, नमूना संग्रहण करना और नमूना संग्रहण करते समय दिमाग में रखे जाने वाला सिद्धान्त, रोग क्षमता, नियंत्रण एवं सूक्ष्म जीवों का विनाश। **11. मनोविज्ञान:-** परिभाषा, नसीं के लिये महत्व एवं अवसर, मानव व्यवहार का मनोविज्ञान: भावनायें, रुख, कुण्ठा और सुरक्षा तंत्र, व्यक्तित्व, खुलिया और सम्बन्धित कारक, सीखना एवं अवलोकन। **12. समाज शास्त्र:-** नर्सिंग में समाजशास्त्र का महत्व, समुदाय का सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक पहलुओं का स्वास्थ्य एवं बीमारी पर उनका प्रभाव, परिवारः सामाजिक संस्था और स्वास्थ्य सेवा के लिये परिवार एवं बुनियादी इकाई, परिवार की बुनियादी आवश्यकतायें, योजनाबद्ध पैरेन्टहूड के लाभ, समाज की अवधारणा, ग्रामीण एवं शहरी समाज, सामाजिक समस्यायें, अविवाहित मातायें, दहेज प्रथा, नसाखारी, मध्यापन, किशोर अपराधवृत्ति, विकलांग, बाल उपीड़न, घरेलू हिंसा, महिला उत्पीड़न, सामाजिक संस्थायें एवं उपचारात्मक उपचार। अर्थव्यवस्था:- देश के संसाधन- प्राकृतिक, व्यावसायिक, कृषि, औद्योगिक आदि, सामाजिक सुरक्षा: जनरंसेब्या विस्कोट- अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव और जनसंख्या नियंत्रण के लिये आवश्यकतायें, परिवारिक बजट, प्रति व्यक्ति आय और स्वास्थ्य एवं बीमारी पर इसका प्रभाव। **13. व्यक्तिगत स्वच्छता:-** स्वास्थ्य की देखभाल, शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य। **14. पर्यावरण स्वच्छता:-** जल:- सुरक्षित एवं शुद्ध जल, जल का उपय